DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General Information relating to Legislative & other Matters)

Wednesday, March 3, 1999/Phalgun 12, 1920

NO. 20

(1) COMMENCEMENT OF THE SECOND SESSION OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

Members are informed that the Second Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, the 22nd March, 1999 at 11.00 A.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi, with the Address of the Lt.Governor to the Assembly.

(2) ALLOTMENT OF DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING SECOND SESSION.

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 22, 23, 24, 26, 27, 30 and 31 March, 1999 and 1, 5, 6, 7, 8, 9 and 12 April, 1999.

(3) TIME OF SITTING OF LEGISLATIVE ASSEMBLY

Except on 22nd March, 1999 when the Lt.Governor shall address the Members at 11.00 A.M., the sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day, unless the Speaker directs otherwise.

Contd....2

(4) NOTICES OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of questions is required to be given by the Members. Under Rule 36, the Members can give notice of a maximum of five questions in a day (including Short Notice, Starred and Unstarred Questions). In case any Member gives notices of more than five questions on any day, only his first five notices will be taken up and the remaining notices shall be deemed to have been rejected.

(5) ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE SECOND SESSION (RULE 37)

For the Second Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been set out as under:-

S.No.	Departments	Date of sitting	Last date for receipt of Questions for the Deptts.in Col.2	Date of holding ballot for determination of priority for oral answers.
1	2	3	4	5
1.	Administrative Reforms, General Administration, Education, Training & Technical Education, Vigilance, Labour	23.3.99	10.3.99 upto 3.00 P.M	10.3.99 at 5.00 PM
		31.3.99	18.3.99 upto 3.00 PM	18.3.99 at 5.00 PM
		8.4.99	26.3.99 upto 3.00 PM	26.3.99 at 6.00 PM
2.	Home, Revenue, Planning, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Jails,	24.3.99	11.3.99 upto 3.00 PM	11.3.99 at 5.00 PM

Contd....3

1	2	3	4	5
	Services, Transport, Medical & Public Health	1.4.99	19.3.99 upto 3.00 PM	19.3.99 at 5.00 PM
		9.4.99	26.3.99 upto 3.00 PM	26.3.99 at 6.00 PM
3.	Food & Supplies, Public Relations, Sales Tax, Gurudwara Elections, Finance, Urban Development, Family Welfare	26.3.99	12.3.99 upto 3.00 PM	12.3.99 at 5.00 PM
		5.4.99	22.3.99 upto 3.00 PM	22.3.99 at 5.00 PM
		12. 4.99	30.3.99 upto 3.00 PM	30.3.99 at 6.00 PM
4.	Land, PWD and Housing, Irrigation & Flood Control, Industries, Language, Welfare of SC/ST, Water and Power	27.3.99	12.3.99 upto 3.00 PM	12.3.99 at 5.00 PM
		6.4.99	23.3.99 upto 3.00 PM	23.3.99 at 6.00 PM
5.	Excise, Environment, Forest & Wild Life, Development, Tourism, Election, Employment, Law & Justice, Social Welfare.	30.3.99	17.3.99 upto 3.00 PM	17.3.99 at 5.00 PM
		7.4.99	24.3.99 upto 3.00 PM	24.3.99 at 6.00 PM

NOTE

(1) Notices of Questions for the Second Session will be received with immediate effect.

(2) A Member may give notices of upto five questions in a day including Starred and Unstarred Questions.

(3). Members may kindly note that if notice of any question is received after the last date and time in respect of various departments vide Col. No.3 and 4 on pre-page, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be upto 3.00 PM.

Contd....4

(4) Where the question draws a reference to a news item published in a national or local daily, the question, in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clipping of the news item. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.

(5) The clubbing of questions will be done in case several notices of questions on the same subject matter are received. Notices of questions subsequently received and repeating in substance the same subject matter are liable to be disallowed (Rule 31 (vii).

(6) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of question. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

(7) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 53) at 5.00 PM but during the session days it will be held at 6.00 PM to enable the Hon'ble Members to participate in balloting if they so wish.

(8) Members may kindly note that since the Municipal Corporation of Delhi has been duly constituted, notices of questions relating to its day to day administration and functioning may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31 (xiii).

(6) SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 287

Members who want to raise matters under Rule 287 may give notice of the same by 11.00 AM on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the Room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 10-15 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the

Contd....5

floor of the House. The matter should relate to only one Department and one issue and for which the Govt.of Delhi is responsible.

(7) PRIVATE MEMBER'S BUSINESS

The Hon'ble Speaker has been pleased to allot the sittings of the House for Private Members' Business as under:

(a) PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS: The Sittings of the House to be held on Friday the 26th March'99 has tentatively been allotted for Private Members' Resolutions. The Notice for Private Members' Resolutions will be received upto 3.00 PM on 10th March, 1999. The Balloting for inter-se priority, will be held on 10th March, 1999 at 5.00 PM in the Room of Secretary. Members are welcome to participate in the balloting.

(b) PRIVATE MEMBERS' BILLS - The sitting of the House to be held on Friday, the 9th April'99 has tentatively been allotted for Private Members' Bills. The notices of Private Member Bills would be received upto 3.00 PM on 23rd March'99. In case, however, no notice of Private Member Bill is received, Private Members Resolutions would be taken up on 9th April also and Members can therefore give notices of Resolutions for that date also by 23rd March'99 upto 3 PM, balloting for which would be taken up at 6 PM on the same day.

Contd.....6

(8) PROCEDURE OF NOTICES

(a) Kind attention of the Members is invited to Rule 265 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:-

"(1) Every notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be delivered in his office during working hours.

(2) Unless otherwise provided in these Rules, a notice received in the office at hours after those specified in the preceding sub-rule shall be treated as given on the next opening day."

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office.

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) The Assembly Notice Office is responsible for transmission of the notices to the Branches/ Officers concerned without delay. Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member

Contd......7

does so, it is not likely to be taken note of.

(e) The hours specified for the receipt of notices by the Assembly Notice Office are between 10.00 A.M. and 3.00 PM on the date mentioned for the same. Notices left at the Notice Office after 3.00 PM would be treated as having been received at 10.00 AM on the next working day. This is not intended to preclude the members from sending notices addressed to the Secretary by post.

(9) VISITORS GALLERY

Attention of the Members is invited to the directions issued by HON'BLE SPEAKER under Rule 291 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly with regard to admission to the Visitors Gallery. The directions inter alia provided that application forms for the issue of visitors gallery passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 22.3.99 will be accepted upto 5.00 PM on the earlier day i.e. 19.3.99 (20 and 21 March 1999 being holidays). Similarly, applications for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors gallery being limited, not more than two passes shall be issued to a member for each sitting. No admission cards for the visitors gallery will ordinarily be issued on the same day.

Contd......8

Members are requested to recommend issue of gallery passes for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE :

In order to maintain proper decorum in the House, Members are requested not to bring Cellular Phones, pagers or other electronic gadgets etc. in the House. If they are in pssession thereof they may kindly ensure that these are kept switched off while they are in the House.

In the interest of timely and orderly transaction of business of the House, Hon'ble Members are requested to kindly cooperate in maintaining the dignity and decorum of the House.

Kind cooperation of Members are solicited.

S.K.SHARMA
SECRETARY

276

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

SECOND SESSION (BUDGET SESSION)

PROVISIONAL CALENDAR OF SITTINGS

22 MARCH, 1999	MONDAY	L.G. ADDRESS
23 MARCH, 1999	TUESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
24 MARCH, 1999	WEDNESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
25 MARCH, 1999	THURSDAY	HOLIDAY(RAM NAVAMI)
26 MARCH,1999	FRIDAY	PRIVATE MEMBERS' BUSINESS
27 MARCH, 1999	SATURDAY	GOVT. BUSINESS
28 MARCH, 1999	SUNDAY	HOLIDAY
29 MARCH, 1999	MONDAY	HOLIDAY(ID-UL-JUHA)
30 MARCH, 1999	TUESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
31 MARCH, 1999	WEDNESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
01 APRIL, 1999	THURSDAY	GOVERNMENT BUSINESS
02 APRIL, 1999	FRIDAY	HOLIDAY (GOOD FRIDAY)
03 APRIL, 1999	SATURDAY	HOLIDAY
04 APRIL, 1999	SUNDAY	HOLIDAY
05 APRIL, 1999	MONDAY	GOVERNMENT BUSINESS
06 APRIL, 1999	TUESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
07 APRIL, 1999	WEDNESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
08 APRIL, 1999	THURSDAY	GOVERNMENT BUSINESS
09 APRIL, 1999	FRIDAY	PRIVATE MEMBERS' BUSINESS
10 APRIL, 1999	SATURDAY	HOLIDAY
11 APRIL, 1999	SUNDAY	HOLIDAY
12 APRIL, 1999	MONDAY	GOVERNMENT BUSINESS

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग- ।।

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §

बुधवार, 03 मार्च, 1999/फाल्गुन 12, 1920§शक§

संख्या :20

§1§ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की द्वितीय विधान सभा के दूसरे सत्र का प्रारम्भ ।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की द्वितीय विधान सभा का दूसरा सत्र सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 1999 को पूर्वाह्न 11·00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में माननीय उप-राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारम्भ होगा ।

§2§ दूसरे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन हेतु दिनों का आबंटन ।

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थाई तौर पर 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31 और 1, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 12 अप्रैल, 1999 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

§3§ विधान सभा की बैठकों का समय ।

22 मार्च, 1999 के अलावा जब माननीय उप-राज्यपाल, माननीय सदस्यों को पूर्वाह्न 11·00 बजे संबोधित करेंगे, जब तक अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें 2·00 बजे अपराह्न आरम्भ होंगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए ।

§4§ प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट ।

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-33 के अंतर्गत समस्त माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है । नियम-36 के अंतर्गत सदस्य §अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सहित§ एक दिन के लिए केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं । यदि कोई सदस्य एक दिन के लिए पांच से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जायेंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जायेंगी ।

··2·

{5} दूसरे सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन {{नियम-37}

मंत्रियों द्वारा दूसरे सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है :

क्रम संख्या	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम में दर्शाये गये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि
1	2	3	4	5
1·	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, सतर्कता, श्रम	23·3·99	10·3·99 3·00 बजे तक	10·3·99 5·00 बजे
		31·3·99	18·3·99 3·00 बजे तक	18·3·99 5·00 बजे
		8·4·99	26·3·99 3·00 बजे तक	26·3·99 6·00 बजे
2·	गृह, राजस्व, योजना, सहकारिता, खाद्य अपमिश्रण निवारण, कारावास, सेवाएं, परिवहन, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	24·3·99	11·3·99 3·00 बजे तक	11·3·99 5·00 बजे
		1·4·99	19·3·99 3·00 बजे तक	19·3·99 5·00 बजे
		9·4·99	26·3·99 3·00 बजे तक	26·3·99 6·00 बजे
3·	खाद्य एवं संभरण, जनसंपर्क, बिक्री कर, गुरुद्वारा चुनाव, वित्त, शहरी विकास, परिवार कल्याण	26·3·99	12·3·99 3·00 बजे तक	12·3·99 5·00 बजे
		5·4·99	22·3·99 3·00 बजे तक	22·3·99 5·00 बजे
		12·4·99	30·3·99 3·00 बजे तक	30·3·99 6·00 बजे
4·	भूमि, लोक निर्माण विभाग विभाग एव आवास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, भाषा, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण, जल और विद्युत	27·3·99	12·3·99 3·00 बजे तक	12·3·99 5·00 बजे
		6·4·99	23·3·99 3·00 बजे तक	23·3·99 6·00 बजे

1	2	3	4	5
5.	आबकारी, पर्यावरण, वन और वन्य जीवन,	30.3.99	17.3.99 3.00 बजे तक	17.3.99 5.00 बजे
	विकास, पर्यटन, चुनाव, रोजगार, विधि एवं न्याय, समाज कल्याण	7.4.99	24.3.99 3.00 बजे तक	24.3.99 6.00 बजे

टिप्पणी

1. दूसरे सत्र के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जाएंगी।
2. सदस्य एक दिन में तारांकित, अतारांकित प्रश्नों सहित केवल पाँच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं।
3. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कॉलम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जाएगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है।
4. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाए, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जाएंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
5. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जाएगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी। बाद में प्राप्त की गई सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें ﴾नियम 31 ﴾7﴿ के अंतर्गत﴿ अस्वीकार कर दिया जाएगा।
6. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
7. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष ﴾सं0 53﴿ में 5.00 बजे अपराह्न की जाएगी, किन्तु सत्र के दौरान सदस्यों की सुविधा के मद्देनजर यदि वे बैलेटिंग में भाग लेना चाहें तो बैलेटिंग 6.00 बजे सायं संपन्न होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस उद्देश्य हेतु निर्धारित तिथियों को बैलेटिंग देखने का कष्ट करें।

6\. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि चूंकि दिल्ली नगर निगम का विधिवत् गठन हो चुका है, अतः इसके दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं। ऐसे प्रश्नों को नियम 31 ﴾13﴿ के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा।

﴾6﴿ नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जो माननीय सदस्य नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं. वे प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11·00 बजे तक दे सकते हैं । प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11·00 बजे सचिव.विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 10-15 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढें । विषय केवल एक ही विभाग एवं मुद्दे से संबंधित होना चाहिये जिसके लिये दिल्ली सरकार उत्तरदायी है ।

﴾7﴿ गैर सरकारी सदस्यों के कार्य

माननीय अध्यक्ष ने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु निम्न प्रकार से तिथियों का आबंटन किया है :-

﴾क﴿ गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प : शुक्रवार. 26 मार्च.1999 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर गैर सरकारी सदस्यों के **संकल्पों** के लिये आबंटित की गई है । गैर सरकारी सदस्यों के **संकल्पों** की सूचनाएं 10 मार्च.1999 को अपराह्न 3·00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी। प्राथमिकता हेतु बैलेटिंग सचिव के कक्ष में 10, मार्च.1999 को अपराह्न 6·00 बजे की जायेगी । माननीय सदस्यों का बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये स्वागत है ।

(ख) **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक :** शुक्रवार, 9 अप्रैल, 1999 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों** के लिये आबंटित की गई है । गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचनाएं 23 मार्च, 1999 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी । तथापि, यदि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, तो शुक्रवार 9 अप्रैल, 1999, के लिये सदस्य गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूचनाएं 23 मार्च, 1999 तक दे सकते हैं जिनकी बैलेटिंग उसी दिन यानि 23.3.1999 को अपराह्न 5.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में सम्पन्न होगी ।

(4) सूचनाओं की प्रक्रिया

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 265 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं :-

(1) प्रत्येक सूचना जिसकी नियमों के अंतर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके या लिखित रूप में दी जायेगी और वह उनके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर दी जायेगी ।

(2) जब तक नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, सूचना जो कार्यालय में उपर्युक्त नियमों में दिये गये समय के उपरांत अन्य समयों में प्राप्त हो, वह अगले दिन खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायेगी।

(ख) सूचना देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिये और उसे विधान सभा के सूचना कार्यालय में जमा कराना चाहिये ।

(ग) विधान सभा के सूचना कार्यालय में दी गई सभी सूचनाओं पर तिथि की मुहर और सूचना प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।

765

(घ) विधान सभा सूचना कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(ङ) विधान सभा सूचना कार्यालय द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये विनिर्दिष्ट समय उनके लिये उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10·00 बजे से अपराह्न 3·00 बजे के बीच है। सूचना कार्यालय में अपराह्न 3·00 बजे के बाद दी गई सूचनाओं को अगले कार्य दिवस को प्रातः 10·00 बजे दिया गया माना जायेगा। इसका अभिप्राय सदस्यों को डाक द्वारा सचिव को सम्बोधित सूचनाएं भेजने की सुविधा से वंचित करना नहीं है।

(9) दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र

सदस्यों का ध्यान दर्शक दीर्घा में प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 291 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है। इसके साथ-साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन पत्र, जिस दिन के लिये प्रवेश पत्र चाहिये, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5·00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जायें। उदाहरणार्थ 22·3·99 को होने वाली सदन की बैठक के लिये दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 19·3·1999 (20 एवं 21 मार्च, 1999 अवकाश होने के कारण) को अपराह्न 5·00 बजे तक स्वीकार

किये जायेंगे। इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जायेंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।

दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतया उसी दिन जारी नहीं किये जायेंगे।

टिप्पणी

1· सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हों।

2· सदन में उचित अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में सेलुलर टेलीफोन, पेजर्स अथवा वैद्युत उपकरण {इलैक्ट्रानिक गैजेट} आदि लेकर न आयें। यदि उनके पास इस प्रकार के उपकरण हों तो वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब वे सदन में हों तो ऐसे उपकरणों का स्विच बन्द रखें।

टिप्पणी

समय और व्यवस्थित ढंग से सदन के कार्य निष्पादन के उद्देश्य से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने में अपना योगदान दें।

सदस्यों का सहयोग प्रार्थनीय है।

एस·के·शर्मा
सचिव

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
द्वितीय (बजट) सत्र

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

....

22 मार्च, 1999	सोमवार	उपराज्यपाल का अभिभाषण
23 मार्च, 1999	मंगलवार	सरकारी कार्य
24 मार्च, 1999	बुधवार	सरकारी कार्य
25 मार्च, 1999	वृहस्पतिवार	अवकाश (राम नवमी)
26 मार्च, 1999	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य
27 मार्च, 1999	शनिवार	सरकारी कार्य
28 मार्च, 1999	रविवार	अवकाश
29 मार्च, 1999	सोमवार	अवकाश
30 मार्च, 1999	मंगलवार	सरकारी कार्य
31 मार्च, 1999	बुधवार	सरकारी कार्य
01 अप्रैल, 1999	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
02 अप्रैल, 1999	शुक्रवार	अवकाश (गुड फ्राईडे)
03 अप्रैल, 1999	शनिवार	अवकाश
04 अप्रैल, 1999	रविवार	अवकाश
05 अप्रैल, 1999	सोमवार	सरकारी कार्य
06 अप्रैल, 1999	मंगलवार	सरकारी कार्य
07 अप्रैल, 1999	बुधवार	सरकारी कार्य
08 अप्रैल, 1999	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
09 अप्रैल, 1999	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य
10 अप्रैल, 1999	शनिवार	अवकाश
11 अप्रैल, 1999	रविवार	अवकाश
12 अप्रैल, 1999	सोमवार	सरकारी कार्य

.....